# मजदूर– किसान संघर्ष रैली

## सीटू – ऐ. आई.के.एस – ऐ. आई.ऐ. डब्ल्यू.यू.

## 5 सितम्बर 2018, संसद भवन

सार्वजनिक परिवहन बचाओ! राज्य परिवहन उपक्रम बचाओ!

किफायती परिवहन व्यवस्था देश के नागरिकों का अधिकार है इसी उद्देश्य से आजादी के बाद 1950 में राज्य परिवहन उपक्रम एक्ट बना तथा बहुत से राज्यों में नागरिकों को सस्ती परिवहन सुविधा देने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों की स्थापना की गई।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों ने कस्बों व शहरों को दूर दराज स्थित गांवों व जनजातियों क्षेत्रों को जोड़ा हालांकि इन रास्तों पर सड़क परिवहन इन उपक्रमों के लिए नुकसान का सौदा था फिर भी राज्यों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्योको मद्देनजर नुकसान की परवाह किये बिना आम नागरिकों की सुविधा बरकरार रखी। बहुत से राज्य सरकारों ने स्कूल/ कॉलेज जाने वाले छात्रों/ विकलांगों, बुजुर्गों आदि से रोज आने जाने वाले किराये पर छूट कर रियायती दरों पर किराया देने की सुविधा भी प्रदान की। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों ने लाखों श्रमिकों किसान, मछुआरों आदि को परिवहन की किफायतरी व्यवस्था उपलब्ध करवाई।

कई कठिनाईयों के बावजूद यह उपक्रमों खासकर ग्रामीण व जनजातिय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सड़क परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहे है।

राज्य परिवहन निगम, देश में, सबसे कम दुर्घटना दर के साथ परिवहन के सबसे सुरक्षित साधन/ तरीके प्रदान कर रहे हैं। कई राज्य सड़क परिवहन निगमों को उनके श्रमिकों की समर्पित सेवा व वचनबद्धता तथा ईंधन बचाने की उनकी दक्षता के लिए उनको सम्मानित भी किया गया है, लेकिन यह सब 1991 से हमारे देश में नवउदार नीतियां लागू होने के साथ ही बदलना शुरू हो गया था। नवउदार शासन व्यवस्था में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य आवश्यक सेवाओं के साथ परिवहन को भी बड़े निजी निगमों के लाभ का एक और रास्ता बनाया। हालांकि अधिकारिक तौर पर यह नीतियां कांग्रेस सरकार ने शुरू की परन्तु कांग्रेस / भाजपा या अन्य गठबंधन की सरकारों ने भी इन्ही नीतियों का अंधानुसरण किया। आम नागरिकों के हितों की अनदेखी करते हुए इन सरकारों ने नव उदारवाद के पेरेकारों से सांठगांठ कर स्वदेशी ओर विदेशी निगमों के पक्ष में आत्म सर्म्पण कर दिया और वे श्रमिकों, मजदूरों व किसानों के मुकाबले निजी निगमों के लाभ को बढाने की नीतियों को ही लागू करते रहे है।

केवल वाम दलों को छोड़कर कांग्रेस, भाजपा और इनकी समर्थक राज्य सरकारों ने इस उदारवादी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। वे वहीं नीतियां अपना रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप आंतोत्गत्वा राज्य सड़क परिवहन निगम कमजोर हो रहे हैं। निजी कंपनियों को परिवहन क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है व राज्य परिवहन निगमों को बंद करने के लिए बनावटी वित्तीय संकट में धकेला जा रहा है।

आज देश में सभी राज्य सड़क परिवहन निगम गंभीर वित्तीय संकट में है। डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि मोटर वाहन कर, उत्पाद कर ने निगमों की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डाला है। राज्य सरकारें भी अकसर समाज के विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली रियायतों की भी भरपाई नहीं करती है। राज्य सरकारें विभिन्न स्त्रोत देख रहे होते हैं जबकि निजी संचालक अवैद्य रूप़ में अपने बड़े संचालन करते हैं। ऐसा कई राज्यों में देखने में आया है कि सत्तासीन या विपक्षी दल ख़ुद या अपने दल के करीबी लोगों या रिश्तेदारों के माध्यम से सड़क परिवहन संचालित करते है। जहां राज्य परिवहन निगम सामाजिक सौदेश्यता/ जिम्मेदारी के तहत परिवहन व्यवस्था के चला रहे हैं वहीं निजी संचालक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए लड़ रहे हैं।

सड़क परिवहन उपक्रमों में छा रहे वित्तीय संकट के लिए राज्य सरकारों श्रमिकों पर अक्षम होने का आरोप लगाकर उन्हें बलि का बकरा बना रहा है।

कई राज्यों में श्रमिकों के वेतन का भुगतान महीनों तक लबित रखा जाता है तथा सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवा निवृति के उपरांत मिलने वाले लाभ व पेंशन भुगतान को भी लांबित रखा जा रहा है। खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आ रही है, तथा मौजुदा कर्मचारियों पर काम का अत्याधिक बोझ आ रहा है। चालकों, कंडैक्टरों और यात्रियों की सुरक्षा पर इस तरह के बोझ के प्रतिकूल परिणाम अपेक्षित है, ग्रामीण परिवहन सेवा में बहुत अधिक कटौती की जा रही है व किराये का तमाम बोझ यात्रियों पर डालने का प्रयास हो रहा है, उड़ीसा व बिहार में राज्य सड़क परिवहन में जबरदस्त कमी की गई है तथ उसे मामूली सेवाओं तक सीमित कर दिया गया है, इसके परिणाम स्वरूप झारखंड व छत्तीसगढ़ में राज्य सड़क परिवहन  को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है फलतः हजारों श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तथा लाखों यात्रियों  को निजी संचालकों की दया पर छोड़ दिया गया है।

मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद अति उत्साह से नव उदार नीतियों को लागू कर रही है, कार्य संभालने के तुरन्त बाद इसने निजी निगमों के लिए व्यवसाय करने में  आसानी लाने के उपायों को शुरू कर दिया और बहाना किया जा रहा है कि इससे दुर्घटनाएं कम होगी और सुरक्षा प्रदान होगी। मोटर वाहन संशोधन बिल द्वारा अपने नव उदार कार्यसूची केन्द्र सरकार अपने इन बिलों को प्रोजेक्ट करने के लिए विज्ञापनों पर भारी राशि खर्च कर रही है। इनका असली इरादा केवल राज्य सड़क परिवहन निगमों को खत्म कर इस विशाल क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपना है। राज्य परिवहन निगमों पर मोटर वाहन संशोधन विधेयक के प्रभाव, वर्तमान मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत कांट्रेक्ट कैरिज व स्टेज कैरिज के दो अलग– अलग प्रकार के परमिट दिये जाते हैं। निजी ऑपरेटरों को कांट्रेक्ट कैरिज परमिट दिया जाता है, लेकिन ये अवैद्य रूप से स्टेज कैरिज गाड़ियों की तरह व्यक्तिगत यात्रियों को यात्रा करवाकर परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्य परिवहन निगमों के अवैध राजस्व को लूट रहे हैं, यह मोटर वाहन संशोधन बिल अब निजी ऑपरेटरों के इस अवैध कार्य को वैध बनाने का प्रयास है। यह दोनों प्रकार के परमिट के विलय कर चोर को चाबिंया सौंपने का षडयंत्र है। प्रर्वतन सुनिश्चित करते हुए उल्लंघन करने वालो को दंडित करने के उपाय करने को बजाय, सरकार मुक्त हाथों से राज्य परिवहन निगमों को बंद करना चाहती है।

अभी तक वाहन बीमा में थर्ड पार्टी के बीमा से छूट दी गई है क्योंकि दुर्घटना दर बहुत कम है। मोटर वाहन संशोधन बिल में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे संकट में चल रहे उद्योग पर और गहरा संकट आ जायेगा इससे निजी बीमा कम्पनियों के मुनाफे को बढावा देने के लिए सैंकड़ो करोड़ों

रूपये प्रीमियम के रूप में भुगतान करना पढ़ेगा।

अंतिम मील तक पहुंच बनाने के रूप में मोटर वाहन संशोधन बिल, प्राधिकरण के रास्ते के लिए वाहन के लिए किसी भी स्थिति को परमिट को छोड़ने के लिए प्राधिकृत करता है, ऑप्रेटर को अपने विवेकाधिकार से काम करने की अनुमति दी जायेगी, यह ऑप्रेटर को अंधी छूट देने के अलावा कुछ भी नहीं है।

संक्षेप में इन सभी उपायों का एकमात्र उद्देश्य राज्य परिवहन निगमों के कमजोर करने तथा निजी निगमों को सौंपने का लक्ष्य है।

बहुमत के कारण बीजेपी सरकार ने लोकसभा में यह बिल पारित करवा लिया है, परन्तु राज्य सभा में भाजपा के पास बहुमत न होने के कारण यह बिल पारित नहीं हुआ है, परिवहन श्रमिकों, केन्द्रीय व्यापार संघो, ट्रेड यूनियनों तथा अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों व लोगों का समर्थन व संसद में वाम दलों के विरोध के कारण बीजेपी इस बिल को आज तक पारित नहीं करवा सकी।

अगर राज्य परिवहन उपक्रम बंद हो जाए तो क्या होगा –

1. श्रमिकों को लाभ के लालची निजी ऑप्रेटरों द्वारा शोषण के अधीन किया जाएगा, वर्तमान में एसटीयूएस में काम कर रहे हजारों कर्मचारी अपनी नौकरियां खो देंगें।
2. लोग, विशेष रूप से आंतरिक गांवों और जनजातीय क्षेत्रों आदि में सस्ती और विश्वसनीय परिवहन से वंचित रहेंगें।
3. छात्र रियायतें खो देगें, बदले में यह गरीब छात्रों, खासकर लड़कियों के लिए अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा, कई गरीब बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगें।
4. एससी/ एसटी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा।
5. दुर्घटना दर, यातायात जाम, प्रदूषण का स्तर खराब हो जाएगा।
6. न केवल मजदूर, बल्कि आम लोग भी किफायती परिवहन से वंचित रहेंगें।

राज्य परिवहन उपक्रमों को इस तरह के हमले से बचाने के लिए जरूरी है कि पास होने से एमवी (संशोधन) बिल को रोका जाये। नवउदार नीतियों के खिलाफ, हमारे संघर्ष को निर्देशित करना आवश्यक है, जिनमें से ये उपाय एक अभिन्न अंग है।

सड़क परिवहन श्रमिकों ने इन उपायों का जोरदार विरोध किया है। कई राज्यों में सड़क परिवहन श्रमिकों ने अपनी अन्य मांगों पर संघर्षों के अलावा एसटीयू को बचाने के लिए बड़े संघर्ष किए है। उन्होंनें राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व देशव्यापी संयुक्त हड़ताल सहित कई संयुक्त संघर्ष किए है। वे फिर से एक और देश की व्यापक हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं।

लेकिन राज्य सड़क परिवहन निगमों को बचाने राज्य सड़क परिवहन निगमों का यह संघर्ष, खतरनाक, एमवी संशोधन बिल को रोकने के लिए करने का संघर्ष करना पड़ेगा। यह बिल आम लोगों की सेवा करने वाले राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए ढंके की चोट पर समाप्ति है जो अकेले सड़क परिवहन श्रमिको

का संघर्ष नहीं है। यह मजदूर लोगों, श्रमिकों, किसानों, कृषि श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, मछुआरों और अन्य लोगों के सभी वर्गों का संघर्ष है। राज्य सड़क परिवहन निगमों को बचाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है जो गरीबों के लिए सस्ती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है।

05 सितम्बर, 2018 को संसद में मजदूर किसान संघर्ष रैली जनविरोधी मूर वाहन संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहा है। राज्य सड़क परिवहन निगमों को बचाने और आगे आगे बढाने के उपायों की मांग करना है। यह नवउदार नीति व्यवस्था के उलट की मांग करना है जो निजी निगमों को रियायतों, छूट और उनके मुनाफे को बढ़ाने के लिए अनुकूल है और आम लोगों, श्रमिकों, किसानों और कृषि श्रमिकों पर भारी बोझ लगाता है। सरकार को चेतावनी देना है कि ऐसे कार्यकर्ता विरोधी, किसान विरोधी और जनविरोधी नीतियों को और बर्दाश्त नही किया जाएगा।

एकजुट। लड़ाई।

उन सरकारों के खिलाफ जो 0.1 प्रतिशत के लिए काम करते है

नीतियों के लिए जो 99.9 प्रतिशत के लिए फायदेमंद है